

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 126/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अनिलकुमार पुत्र पीराराम 2. उगमराम पुत्र रावताराम 3. कानाराम पुत्र रावताराम 4. चुतराराम पुत्र रावताराम 5. जेठाराम पुत्र अमराराम 6. ढेली पत्नी पीराराम 7. नाथूराम पुत्र रावताराम 8. भद्राराम पुत्र रावताराम 9. राजेशकुमार पुत्र पीराराम 10. रामलाल पुत्र रावताराम 11. वेरशाराम पुत्र अमराराम जाति दर्जी, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 कमलादेवी पुत्री भेराराम पत्नी नरसीगाराम जाति दर्जी, निवासी पुषड, तहसील शिव (बाड़मेर) हाल निवासी बरमसर तहसील व जिला जैसलमेर 2 गुड़डीदेवी पुत्री भंवराराम पत्नी सवाईराम जाति दर्जी निवासी पुषड हाल नि0 मौखाव तहसील शिव (बाड़मेर) 3 गेनाराम पुत्र किशनाराम 4 जगदीश पुत्र भंवराराम 5 झिमोदेवी पुत्री भंवराराम पत्नी जसराज जाति दर्जी निवासी पुषड हाल निवासी मौखाव तहसील शिव (बाड़मेर) 6 ढेली पत्नी भेराराम 7 तिलोकाराम पुत्र भंवराराम 8 दलपतराम पुत्र किशनाराम 9 पांची पत्नी भंवराराम 10 पारसकुमार पुत्र भंवराराम 11 भूराराम पुत्र गुलाबाराम 12 भंवराराम पुत्र महादान - फौत रेकर्ड से हटाया गया 13 माकूदेवी पत्नी किशनाराम 14 मोटाराम पुत्र महादान 15 मोहनराम पुत्र किशनाराम 16 सुगनो पत्नी भंवराराम 17 सुरेशकुमार पुत्र भंवराराम जाति दर्जी निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर 18 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 19 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण - श्री बृजमोहन कुमावत।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 8, 13, 15 - श्री ईश्वरसिंह भाटी।



--: निर्णय :-

दिनांक : 07.05.2026

अभियंता अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा अभियंता अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं अभियंता अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम पुषड के खेत खसरा नम्बर 284, 89, 91 रकबा क्रमशः 2.1044, 2.2824, 21.5454 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अनिल कुमार पुत्र पीराराम, ढेली पत्नी पीराराम, राजेश कुमार पुत्र पीराराम, उगमराम पुत्र रावताराम, कानाराम पुत्र रावताराम, चुतराराम पुत्र रावताराम, नाथूराम पुत्र रावताराम, भद्राराम पुत्र रावताराम, रामलाल पुत्र रावताराम, जेठाराम पुत्र अमराराम, वेरशाराम पुत्र अमराराम जाति दर्जी सा. देह खातेदार	पुषड	91	8.0795	बा.सो.	-	भूरा
			89	0.8559	बा.सो.	-	
			284	0.7891	बा.सो.	-	
			03	9.7245			
2	गेनाराम पुत्र किशनाराम, दलपतराम पुत्र किशनाराम, माकूदेवी पत्नी किशनाराम, मोहनराम पुत्र किशनाराम जाति दर्जी सा. देह खातेदार	पुषड	91	2.6932	बा.सो.	-	हरा
			89	0.2853	बा.सो.	-	
			284	0.2631	बा.सो.	-	
			03	3.2416			

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

कमलादेवी पुत्री भेराराम, गुडडीदेवी पुत्री भंवराराम, जगदीश पुत्र भंवराराम, झिमोदेवी पुत्री भंवराराम, डेली पत्नी भेराराम, तिलोकराम पुत्र भंवराराम, पांची पत्नी भंवराराम, पारसकुमार पुत्र भंवराराम, भूराराम पुत्र गुलाबाराम, भंवराराम पुत्र महादान, सुगनो पुत्री भंवराराम, सुरेशकुमार पुत्र भंवराराम जाति दर्जी सा. देह खातेदार	पुषड	91	10.7727	वा.सो.	-	हरिनील
		89	1.1412	वा.सो.	-	
		284	1.0522	वा.सो.	-	
		03	12.9661			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



[Signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव जिला या जेकर

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव जिला या जेकर